

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

गोपीराम बन्ना कागराम

घा.प.

70/21

संख्या :

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
----------	---------------------------	----------------------	-------------

२५/२०२५

पञ्चवणी प्रसूत वि. क. उप। उन्मत्त की प्राप्ति पर इस्वार्थ निषेधाज्ञा पर कसत हुई गरी। तप बंटवारे का है। कि इति अविज्ञित है तथा सदखतधरत को बिना विधि विभागत के पावड किया जात होचित प्रतीत नही होता है उनके अतिरिक्त प्राप्ति का कथन रेट है वह अपनी रिस्ते की शक्ति पा बाउण्ड्रीवाल करवा रखी है जब कोबिग काशत हो वि प्राप्ति को अपुरणीय इति नी कारित नही होती है। फलस्वरूप प्रसूत इस्वार्थ निषेधाज्ञा जाबुज खबरीग किया जाता है। पञ्चवणी केसल शुमा देका हाविल फमत है।

(Signature)
 सहायक कलक्टर
 आमेर मु0 जयपुर

